

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर  
क्रमांक:-भूमि/एफ 7(ड) (498) डीएलबी/07/

दिनांक:- 24-12

-:: अधिसूचना ::-

राजरथान नगर शुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 74 एवं राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 7-5, राजस्थान आवारान गण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 व राजस्थान नगर पालिका (नगरीय गृहि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 32 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान आवासन गण्डल तथा स्थानीय निकायों को बकाया लीज राशि के ब्याज में निम्नानुसार छूट प्रदान करती है :

1. यदि बकाया राशि ही जगा करवाई जाती है तो देय ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
2. यदि वर्तमान बकाया राशि के साथ-साथ आगामी समरत वर्षों की देय लीज राशि एक मुश्त जमा करवाई जाती है तो बकाया लीज राशि के ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।

इस हेतु दिनांक 30.06.12 तक आवेदन करना होगा तथा 30.09.12 तक लीज राशि को जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

यह अधिसूचना बजट वर्ष 2012-13 की घोषणा सं. 253 के क्रम में वित्त विभाग के सक्षम स्तर से प्रदत्त अनुमोदन के अनुक्रम में जारी की जाती है।

यह अधिसूचना भी सक्षम रतर से अनुमोदित है।

आशा से,

5/

( ताराचन्द गीणा )

शासन उप सचिव

क्रमांक:-भूमि/एफ 7(ड) (498) डीएलबी/07/ १५४५-१५५२

दिनांक:- २८-८-१२

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, मा गंत्री गहोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर
2. प्रमुख सचिव महोदय, गान्धीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर
3. निजी राचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं रवागत्त शासन विभाग, राज. जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर
5. निजी राचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. उप शासन सचिव, (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
7. समरत संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. समरत जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. निदेशक, लेखक एवं गुद्रण विभाग, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर के राजरथान राजपत्र के भाग 6 (क) के आगामी विशेषांक में प्रकाशनार्थी
10. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर
11. सचिव, राजस्थान आवारान मण्डल, जयपुर
12. सचिव, समरत नगर विकास न्यास, राजस्थान
13. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
14. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशापी अधिकारी, नगर विभाग/परिषद्/पालिकाएं, राजस्थान।
15. शुरुक्ति पत्रावली

5/

अतिरिक्त निदेशक